GOVERNMENT OF INDIA
(MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS)
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION No.*108
TO BE ANSWERED ON 29.07.2021

TRIBAL MIGRATION

*108. SHRI PRASANNA ACHARYA:

Will the Minister of TRIBAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of tribal population migrating from one state to another every year;

(b) the States from where regular migration takes place and their percentage of the total tribal population of that State; and

(c) the basic reasons for such migration and the steps taken to prevent it?

ANSWER

MINISTER FOR TRIBAL AFFAIRS
(SHRI ARJUN MUNDA)

(a) to (c): A statement is laid on the Table of the House.

Statement referred to in reply to Rajya Sabha Starred Question No.*108 for answer on 29.07.2021

(a) to (c). Migration of people including tribal population in search of work from one place to another happens primarily because of lack of adequate and remunerative job opportunities in their own places of habitation. National Statistical Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation informed that Migration rate for ST at all India level estimated from survey on 'Employment & Unemployment and Migration Particulars' conducted during 2007-08 is 24.8 percent. Though no database is available about numbers of migrant tribal population, it is observed that tribals who face poverty, unemployment and under-employment in their habitations migrate in search of productive jobs. Ministry of Tribal Affairs has sanctioned research projects to several Tribal Research Institutes for collection of data of tribal migrants from areas where large scale migration is taking place and collate such data through Tribal Migration Support Portal (https://shramshakti.tribal.gov.in/) developed by the Ministry. The repository of such migrants can be used for livelihood and employment generation programs initiated by the Ministry for their benefit as listed below.

- Van Dhan Vikas Kendra (VDVK): The objective of VDVK is to create a tribal enterprise comprising tribal gatherers/ entrepreneurs, who would collectively undertake all related activities starting from collection, value-addition, packaging, branding and marketing of value added products. This initiative can provide regular livelihood and income generation opportunities to tribal families.

- National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation (NSTFDC) is an apex organization exclusively set up for economic development of Scheduled Tribes. The corporation plays a leading role in economic upliftment of Scheduled Tribes by providing financial assistance at concessional rate of interest for improving their productivity.

- "Mechanism for Marketing of Minor Forest Produce (MFP) through Minimum Support Price (MSP)" is a scheme introduced in 2013-14 as a measure of social safety for MFP gatherers, who are primarily members of Scheduled Tribes.

- Funds provided under the scheme "Special Central Assistance to Tribal Sub-Scheme (SCA to TSS)" and "Grants under Article 275 (1) of the Constitution of India" are additive to state plan funds and efforts for tribal development through substantial reduction in poverty and unemployment, creation of productive assets and income generating opportunities.

The key initiatives of other Central Ministries/Departments for the welfare of tribal to provide l ivelihood and employment in their own are as given below:

- Under **Pradhan Mantri Garib Kalyan Rojgar Abhiyan (PMGKRA)** various initiatives have been taken to boost rural infrastructure and rural economy to provide local employment opportunities particularly to the migrant returnees.
- **Aatmanirbhar Bharat RozgarYojna (ABRY)** has been launched to incentivize employers for creation of new employment along with social security benefits and restoration of loss of employment during COVID-19 pandemic.

- **Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)** was initiated with the objective of enhancing livelihood security in rural areas by providing at least 100 days of guaranteed wage employment in a financial year, to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work.

- **PM GaribKalyan Ann Yojana** : Under the scheme additional allocation of food grain @ 5 kg per person per month free of cost was provided to all beneficiaries covered under the targeted public distribution system.

- **Pradhan Mantri Jan DhanYojana (PMJDY)** is ensuring access to various financial services like availability of basic savings bank account, access to need based credit, remittances facility, insurance and pension to the excluded sections i.e. weaker sections &low income groups. This deep penetration at affordable cost is possible only with effective use of technology.

- **PM KISAN Yojana** has been started with a view to supplementing the earnings of small and medium categories of farmers. This scheme coupled with the Digital India initiative has made it possible to reach the PM KISAN benefits to the farmers in the country.

- **Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)**: The objective of this Skill Certification Scheme is to enable a large number of Indian youth to take up industry-relevant skill training that will help them in securing a better livelihood. Individuals with prior learning experience or skills are also assessed and certified under Recognition of Prior Learning (RPL).

*****

भारत सरकार
(जनजातीय कार्य मंत्रालय)
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *108
उत्तर देने की तारीख 29.07.2021

जनजातीय जनसंख्या का पलायन

***108 श्री प्रसन्न आचार्य:**

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितनी जनजातीय जनसंख्या हर वर्ष एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करती है;

(ख) किन-किन राज्यों से नियमित रूप से पलायन होता है और इन राज्यों में जनजातीय जनसंख्या कुल कितने प्रतिशत है; और

(ग) इस पलायन के मूल कारण क्या हैं और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री
(श्री अर्जुन मुंडा)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

दिनांक 29.07.2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *108 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): काम की तलाश में जनजातीय जनसंख्या सहित लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन मुख्य रूप से उनके अपने निवास स्थान में पर्याप्त और लाभकारी नौकरी के अवसरों में कमी के कारण होता है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सूचित किया कि 2007-08 के दौरान किए गए 'रोजगार और बेरोजगारी एवं प्रवासन/पलायन विवरण' संबंधी सर्वेक्षण से अखिल भारतीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमानित प्रवासन दर 24.8 प्रतिशत है। यद्यपि, प्रवासी जनजातीय आबादी की संख्या के बारे में कोई डेटाबेस उपलब्ध नहीं है, यह देखा गया है कि जो जनजातियां अपने पर्यावासों में गरीबी, बेरोजगारी और अल्प-रोजगार का सामना करते हैं, वे उत्पादक नौकरियों की तलाश में पलायन करते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ऐसे क्षेत्रों जहां बड़े पैमाने पर प्रवास हो रहा है, वहां जनजातीय प्रवासियों के आंकड़ों के संग्रह के लिए कई जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को अनुसंधान परियोजनाओं की मंजूरी दी है और मंत्रालय द्वारा विकसित जनजातीय प्रवासन सहायता पोर्टल (https://sramshakti.tribal.gov.in) के माध्यम से इस तरह के आंकड़ों का मिलान किया है। ऐसे प्रवासियों के सूचना भंडार का उपयोग, नीचे सूचीबद्ध, उनके लाभों के लिए, मंत्रालय द्वारा शुरू की गई आजीविका और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है।

- वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके): वीडीवीके का उद्देश्य एक ऐसे जनजातीय उद्यम का निर्माण करना है, जिसमें जनजाति संग्रहकर्ताओं हो समावेश का उद्यमियों /, जो सामूहिक रूप से मूल्यसंग्रह के उत्पादों वर्धित-, मूल्यसंवर्धन-, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन से संबंधित सभी कार्य करेंगे। यह पहल जनजातीय परिवारों को नियमित आजीविका और आय सृजन के अवसर प्रदान कर सकती है।

- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से स्थापित एक शीर्ष संगठन है। निगम अनुसूचित जनजातियों की उत्पादकता में सुधार के लिए रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके आर्थिक उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाता है।

- "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र" एमएफपी संग्रहकर्ताओं, जो मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में 2013-14 में शुरू की गई एक योजना है।

- "जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)" और "भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान" योजना के तहत प्रदान की

गई निधियां, राज्य योजना निधियों और गरीबी तथा बेरोजगारी में पर्याप्त कमी, उत्पादक संपत्तियों के निर्माण और आय सृजन के अवसर पैदा करने के माध्यम से जनजातीय विकास के प्रयासों का परिवर्धक है।

जनजातियों के कल्याण के लिए उन्हें स्वयं की आजीविका और रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई प्रमुख पहल नीचे दी गई हैं:

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएमजीकेआरए) के तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से प्रवास से वापस लौटने वाले व्यक्तियों को स्थानीय रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं।
- कोविड-19 महामारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ नए रोजगार के सृजन और रोजगार के नुकसान की बहाली के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु **आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)** शुरू की गई है।

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)** को ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी मजदूरी रोजगार उन परिवारों को प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य / श्रम स्वेच्छा से करते हैं।

- **पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना** : योजना के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से खाद्यान्न का अतिरिक्त आवंटन नि:शुल्क प्रदान किया गया।
- **प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)** विभिन्न वित्तीय सेवाओं जैसे कि बुनियादी बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित क्रेडिट तक पहुंच, प्रेषण सुविधा, वंचित वर्गों यानी कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों के लिए बीमा और पेंशन पहुंच को सुनिश्चित कर रही है। वहन करने योग्य कीमत पर यह गहरी पैठ तकनीक के प्रभावी उपयोग से ही संभव है।
- छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों की आय को पूरक करने के उद्देश्य से **पीएम किसान योजना** शुरू की गई है। डिजिटल इंडिया पहल के साथ मिलकर इस योजना ने देश के किसानों तक पीएम किसान योजना के लाभों को पहुंचाना संभव बना दिया है।
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)**: इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है जो इन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगा। पूर्व ज्ञान (लर्निंग) के अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों का भी मूल्यांकन किया जाता है और पूर्व ज्ञान की मान्यता (आरपीएल) के तहत प्रमाणित किया जाता है।

***

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Prasanna Acharya, Shri Prasanna Acharya, *...(Interruptions)...* Shri Kamakhya Prasad Tasa.

श्री कामाख्या प्रसाद तासा : ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ...**(व्यवधान)**... मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि भारत के विभिन्न राज्यों से, बेसिकली जो आदिवासी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उन लोगों ने असम में काम करने के लिए माइग्रेट किया था। ...**(व्यवधान)**... माइग्रेट करने वाले जो लेबरर्स हैं, उनका जो ट्राइबल स्टेटस है, जो एसटी स्टेटस है, उसको बाद में काटा गया।.... अभी हम लोग माँग कर रहे हैं कि उनको एसटी स्टेटस दिया जाए, लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ है। ...**(व्यवधान)**... मंत्री जी ने उनके लिए बहुत-सी स्कीम्स के बारे में बताया है। ...**(व्यवधान)**... मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि हमारे मोदी जी की गवर्नमेंट ने आदिवासियों और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ऐसी बहुत सारी स्कीम्स शुरू की हैं। ...**(व्यवधान)**... मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो बेनिफिट्स डिक्लेयर किए गए, ये चाय बागानों में काम करने वालों और माइग्रेटेड लेबरर्स को भी मिलेंगे या नहीं? ...**(व्यवधान)**...

श्री अर्जुन मुंडा: माननीय उपसभापति महोदय, यह प्रश्न ट्राइबल माइग्रेशन के ऊपर पूछा गया है, लेकिन माननीय सदस्य ने इसके साथ जोड़कर अपना जो सवाल पूछा है, वह भी महत्वपूर्ण है। ...**(व्यवधान)**... इसके साथ ही, जो माइग्रेशन का मामला है, वह भी काफी महत्वपूर्ण है। ...**(व्यवधान)**... कोविड-19 आने के बाद माइग्रेंट लेबरर्स का विषय और भी संवेदनशील हो गया है। ...**(व्यवधान)**... माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में ...**(व्यवधान)**... स्वयं प्रधान मंत्री जी इस मामले में काफी रुचि लेते हैं। ...**(व्यवधान)**... आगामी कार्य योजना कैसी हो, इस पर वे स्वयं चिंतित हैं और उस पर मंत्रालय काम कर रहा है। ...**(व्यवधान)**.. माइग्रेशन लेबर, खासकर ट्राइबल माइग्रेशन को कैसे रोका जाए, ...**(व्यवधान)**... एक विषय यह है और दूसरा उसके साथ-साथ जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, उनको कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए। ...**(व्यवधान)**...

माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि जो पूरक प्रश्न ट्राइबल के स्टेटस के बारे में उन्होंने पूछा है, ...**(व्यवधान)**... असम में जो लोग बहुत वर्षों से रह रहे हैं, ...**(व्यवधान)**... यह मंत्रालय की सूचना में है और मंत्रालय इस पर काम कर रहा है। ...**(व्यवधान)**... चूंकि यह स्टेटस का सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है, इसलिए इस पर अलग से प्रोसेस चल रहा है। जब इसके conclusion आएंगे, तब मैं माननीय सदस्य और इस सदन को अवगत कराऊंगा। ...**(व्यवधान)**... इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की जितनी योजनाएं, जिनसे कि रोज़गार मूलक कार्यक्रम चलाए जा सकें, ...**(व्यवधान)**... उन सारी योजनाओं के बारे में हमने अपने उत्तर में दिया हुआ है। ये योजनाएं सारे देश के लिए हैं, जहां भी आदिवासी, जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। ...**(व्यवधान)**... असम में भी ऐसी योजनाओं को लागू करने के बारे में हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। इसमें हमने जो प्रक्रिया अपनायी है, ...**(व्यवधान)**... उसमें बाद में जो भी चीज़ें सामने आयी हैं, खासकर मैं बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ...**(व्यवधान)**... योजना के माध्यम से रोज़गार देने के लिए है, वह कार्यक्रम असम में भी प्रारम्भ हुआ है। ...**(व्यवधान)**... कोई ऐसा क्षेत्र, जहां माननीय सदस्य चाहते हैं, वे हमें बताएं तो वहां पर भी हमारी टीम जाकर देखेगी। ...**(व्यवधान)**...

श्री दीपक प्रकाश : उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे यहां बोलने का अवसर प्रदान किया। ...(**व्यवधान**)... महोदय, आदिवासी समाज के समावेशी विकास, सर्वांगीण विकास के लिए भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में TAC गठन का अधिकार दिया गया है और झारखंड में जो अधिकार राज्यपाल को मिला हुआ था, ...(**व्यवधान**)... उसको स्वतः समाप्त करते हुए वहां की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और काँग्रेस की सरकार ने उसका उल्लंघन करते हुए TAC का गठन किया है, जो कि असंवैधानिक है। ...(**व्यवधान**)... मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस संदर्भ में केन्द्र सरकार ने कोई कार्यवाही की है? ...(**व्यवधान**)...

श्री अर्जुन मुंडा: माननीय उपसभापति महोदय, यह विषय बहुत संवेदनशील है ...(**व्यवधान**)... 5वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को निहित है। जनजातीय प्रशासन की दृष्टि से जो संवैधानिक प्रावधान है, उसका सही उपयोग हो, मंत्रालय खास तौर से इसका ध्यान रखता है। ...(**व्यवधान**)... यह मंत्रालय के संज्ञान में है और इस पर विधि परामर्श लिया जा रहा है। मैं इस बात को निश्चित रूप से कहूंगा कि संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर जनजातीय समाज को जो सुरक्षा प्रदत्त है, वह सुनिश्चित रहनी चाहिए। ...(**व्यवधान**)... राज्यों को इस बात पर विशेष ध्यान और विशेष बल देना चाहिए, ...(**व्यवधान**)... जिससे ऐसा न लगे कि ट्राइबल एडवाइज़री काउन्सिल निजी स्वार्थ के लिए उपयोग हो रही है, ...(**व्यवधान**)... वह जनता के प्रति उत्तरदायी है और 5वीं अनुसूची का जो ...(**व्यवधान**)... प्रबंधन है, उसके तहत इन सारी चीज़ों को किया जा रहा है। ...(**व्यवधान**)...

डा. सुमेर सिंह सोलंकी : माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(**व्यवधान**)... महोदय, जनजातीय, आदिवासी भाइयों और बहनों के पलायन को रोकने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा लगातार बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं। मैं इसके लिए सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)... मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या पलायन करने वाले जनजातीय बंधुओं के लिए सौ दिन की 'ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना' को 365 दिन करने के लिए सरकार कोई विचार कर रही है? ...(**व्यवधान**)...

श्री अर्जुन मुंडा: माननीय उपसभापति महोदय, जो 'नरेगा' का विषय है, उसको 365 दिन करने की बात कही गई है। ...(**व्यवधान**)... यह हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय का विषय है, लेकिन अभी coordinated way में हमने STC, ...(**व्यवधान**)... जो ST component है, उसके माध्यम से डैशबोर्ड बनाकर ...(**व्यवधान**)... हम कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे कार्यकारी माध्यम से समुचित ढंग से ...(**व्यवधान**)... समन्वय के साथ जनजातीय क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यक्रमों और रोज़गारमूलक योजनाओं को अच्छे तरीके से प्रारंभ किया जा सकेगा। ...(**व्यवधान**)... और आने वाले दिनों में इसका लाभ जनजातीय क्षेत्रों में मिल सकेगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: प्रश्न संख्या 109. ...(**व्यवधान**)...